राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या–60/2023

रघुवीर मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थानए जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिड़ियाघर, जयपुर।
4. श्री जनेश्वर सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम, रेंज जयपुर प्रादेशिक, उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिड़ियाघर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023

आदेश की दिनांक : 25.01.2023

उपस्थिति –

अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरेन्द्र सिंह सोडा, अधिवक्ता

समक्ष : शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रिय वन अधिकारी प्रथम के पद पर जू अधिक्षक, कार्यालय उपवन संरक्षक, वन्यजीव, चिड़ियाघर, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से रेंज जयपुर प्रादेशिक, उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिड़ियाघर, जयपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उसका स्थानांतरण 6 माह की अल्प अवधि में कर दिया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित (accommodate) करने के उद्देशय से किया गया है, क्योंकि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदस्थापित किया गया है, जो अवैध, अनुचित एवं दुर्भावनापूर्ण होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को क्षेत्रिय वन अधिकारी प्रथम के पद पर जू अधिक्षक, कार्यालय उपवन संरक्षक,

वन्यजीव, चिड़ियाघर, जयपुर में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्हाता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्ष्झम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए. आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारि किया हैः–

> *"In our opinion, the Courts should not interference with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred form one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violative any of his legal"*

5. जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552)** में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid harship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee conerned."*

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य